

प्रेषक,

श्रीम प्रकाश गुप्त,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केंद्र-2 समुदायकेंद्र,  
प्रौद्योगिकी विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर, 2004

विषय:-

ॐ सन पब्लिक स्कूल दिल्ली ग्रेठ रोड, मुरादनगर, गाजियाबाद को सी०बी०  
एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

सहोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का  
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सी०बी०एस०ई०** नईदिल्ली से  
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित  
प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1.11 विद्यालय की प्रंजीकृत सोसायटी का सम्य-सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 1.21 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 1.31 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भ्रष्टाचारी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 1.41 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्वामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 15 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 16 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के मूल्यानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्री विमल प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~मुरादनगर~~ मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, ~~अं सन पब्लिक स्कूल~~ दिल्ली ब्लेड मेरठ रोड, मुरादनगर, गाजियाबाद ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से

श्री विमल प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।